संख्या-29/2016/वे0आ0-2-570/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 06 जून, 2016

विषय- इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकों के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों के नर्सिंग प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षणिक पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान, पदनाम एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकों के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों के नर्सिंग प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षणिक पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान, पदनाम एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 29 मार्च, 2016 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 29 मार्च, 2016 का कार्यवृत्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-29/2016/वे0आ0-2-570(1)/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुख्य सचिव समिति की दिनांक 29 मार्च, 2016 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 29 मार्च, 2016 को सम्पन्न उपर्युक्त बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :—

(i) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग — सदस्य

(ii) श्री किशन सिंह अटोरिया,प्रमुख सचिव,कार्मिक विभाग — सदस्य

(iii) श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग — सदस्य

(iv) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग —सदस्य सचिव

2— मुख्य सचिव समिति की बैठक हेतु निर्धारित एजेन्डा के अनुसार इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकों के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों के नर्सिंग प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षणिक पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान, पदनाम एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

3— बैठक में मुख्य सचिव समिति को निम्नवत् अवगत कराया गया :—

(1) इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नर्सिंग स्कूल/कालेज में नर्सिंग प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाठ्यक्रम यथा बी0एस0सी0 (नर्सिंग), एम0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम एवं स्टूडेन्ट की संख्या के आधार पर टीचिंग फैक्लटी के विभिन्न स्तर के पद एवं उनकी संख्या का मानक उपलब्ध है। यह इंगित किया गया है कि टीचर एवं स्टूडेन्ट 1:10 के अनुपात में होंगे। उक्त मानकों के अनुसार बी0एस0सी0 (नर्सिंग) कोंस के लिये 40 से 60 स्टूडेन्ट तथा 61 से 100 स्टूडेन्ट के लिये पदों की आवश्यकता निम्नवत् होगी:—

Sl. No	Designation	B.sc.(N)40-60 (Student intake)	B.sc(N)61-100 (student intake)
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	Principal	1	1
2-	Vice-principal	1	1
3-	Professor	0	1
4-	Associate Professor	2	4
5-	Assistant Professor	3	6

6-	Tutor	10-18	19-28

Principal is excluded for 1:10 teacher student ratio norms (teacher) Tutor student ratio will be 1:10

(For example for 40 student intake minimum number of teacher required is 17 including principal. the strength of tutors will be 10, and 6 will be as per sl. no.02 to 05)

(2) इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकों के अनुसार सम्बन्धित पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव निम्नवत् है :—

Sl. No	Post,qualification & Experience
(1)	(2)
1-	**Principal cum Professor**- 15 years experience with M.Sc.(N) out of which 12 year should be teaching experience with minimun of 5 year in collegiate programme. Ph.D.(N)is disirable
2-	**Vice-principal cum Professor**-12 years experience with M.Sc.(N) out of which 10 years should be teaching experience with minimun of 5 years in collegiate programme. Ph.D.(N)is disirable
3-	**Professor**-10 years experience with M.Sc.(N) out of which 07 years should be teaching experience Ph.D.(N)is disirable
4-	**Associate Professor**- M.Sc.(N) with 08 years experience including 05 years Teaching experience. Ph.D.(N)is disirable
5-	**Assistant Professor**- M.Sc.(N) with 03 years Teaching experience. Ph.D.(N)is disirable
6-	**Tutor**-M.Sc.(N) or B.Sc(N)with 01 years experience

(3) इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल द्वारा निर्धारित मानकों में नर्सिंग स्कूल/कालेज में नर्सिंग प्रशिक्षण से सम्बन्धित कोर्स यथा जनरल नर्सिंग, बी0एस0सी0(नर्सिंग), एम0एस0सी(नर्सिंग) कोर्सेज एवं स्टूडेन्ट की संख्या के आधार पर टीचिंग फैकल्टी के विभिन्न स्तर

के पद एवं उनकी संख्या का मानक उपलब्ध है। साथ ही सम्बन्धित शैक्षिक पदों की अर्हता की व्यवस्था उपलब्ध है। परन्तु उक्त पदों के वेतनमान के सम्बन्ध में निर्देशित नहीं किया गया है।

(4) चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के नर्सिंग कालेजों के लिये विभिन्न पदों के लिये इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकों के अनुसार अर्हता के साथ सम्बन्धित पदों का पदनाम, पदों की संख्या तथा वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रस्ताव किया गया है :—

क्र0 सं0	पदनाम (पदों की संख्या)	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन(रु0 में)
(1)	(2)	(3)
1—	आचार्य / प्रोफेसर (02)	वेतन बैण्ड—4 (रु0 37400—67000) एवं ग्रेड वेतन रु0 8900 / —
2—	रीडर / एसोसियेट प्रोफेसर (01)	वेतन बैण्ड—3 (रु0 15600—39100) एवं ग्रेड वेतन रु0 7600 / —
3—	प्रवक्ता (02)	वेतन बैण्ड—3(रु0 15600—39100) एवं ग्रेड वेतन रु0 5400 / —
4—	टयूट्र / क्लीनिकल इन्स्ट्रक्टर	वेतन बैण्ड—2(रु0 9300—34800) एवं ग्रेड वेतन रु0 4200 / —

(5) प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध नर्सिंग संवर्ग के ढॉचे में उपलब्ध पदों का विवरण निम्नवत् है :—

(i) मुख्य नर्सिंग अधिकारी ग्रेड वेतन रु0 7600 / — का उच्चतम पद उपलब्ध है।

(ii) सहायक नर्सिंग अधीक्षक {इन पदों द्वारा प्रशिक्षण का दायित्व वहन करने की स्थिति में पदनाम सहायक नर्सिंग अधीक्षक (पी0एच0एन0 टयूटर / टयूटर)}का पद ग्रेड वेतन रु0 5400 / — में उपलब्ध है।

(iii) उप नर्सिंग अधीक्षक{ इन पदों द्वारा प्रशिक्षण का दायित्व वहन करने की स्थिति में पदनाम उप नर्सिंग अधीक्षक (प्रधान टयूटर)} का पद ग्रेड वेतन रु0 5400 / —में उपलब्ध है।

(iv) उपर्युक्त विवरण के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग संवर्ग में कमिक दो स्तरों (सहायक नर्सिंग

अधीक्षक एवं उप नर्सिंग अधीक्षक) पर समान ग्रेड वेतन रु0 5400/– निर्धारित है।

(6) प्रदेश में काफी समय पूर्व से एक नर्सिंग कालेज कानपुर में स्थापित है। उक्त नर्सिंग कालेज में बी0एस0सी0 (नर्सिंग) के कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। नर्सिंग कालेज में प्राधानाचार्य, प्राध्यापक तथा क्लीनिकल इन्स्ट्रक्टर के पद उपलब्ध रहे है। वेतन समिति(2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार नर्सिंग कालेज के सम्बन्धित पदों पर निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का विवरण निम्नवत् है :—

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)
1–	क्लीनिकल इन्स्ट्रक्टर	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/–
2–	प्राध्यापक	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/–
3–	प्रधानाचार्य	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600/–

(7) वर्तमान में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार क्लीनिकल इन्स्ट्रक्टर के पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड व वेतन रु0 4800/– तथा प्राध्यापक के पद पर वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/– निर्धारित है। जबकि प्रशासकीय विभाग द्वारा ट्यूटर/ क्लीनिकल इन्स्ट्रक्टर के पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड व वेतन रु0 4200/– तथा प्राध्यापक(प्रवक्ता) के पद पर वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/– निर्धारित किये जाने पर प्रस्ताव किया गया है।

(8) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकों में नर्सिंग स्कूल/कालेज के नर्सिंग प्रशिक्षण से सम्बन्धित कोर्स एवं स्टूडेन्ट की संख्या के आधार पर टीचिंग फैकल्टी के विभिन्न स्तर के पद एवं उनकी संख्या का मानक तथा सम्बन्धित शैक्षिक पदों की अर्हता के सम्बन्ध में व्यवस्था/निर्देश उपलब्ध हैं। परन्तु उक्त पदों के वेतनमान के सम्बन्ध में निर्देशित नहीं किया गया है। उक्त स्थिति में वेतनमान के निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अभिमत स्थिर किया जाना है।

(9) वर्तमान में केवल ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूड ऑफ मेडिकल सांइसेज, भुवनेश्वर के नर्सिंग कालेज के कतिपय पदों पर निर्धारित अर्हता एवं वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की सूचना उपलब्ध है। उक्त संस्था में सम्बन्धित पदों की अर्हता **इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल (आई0एन0सी0) के मानकों के अनुसार निर्धारित अर्हता से भिन्न है।**

(10) प्रदेश में नर्सिंग स्कूल/ कालेजों में बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अथवा एम0एस0सी0 (नर्सिंग) के कोर्सेस के प्रशिक्षण के आधार पर टीचिंग फैक्लटी के विभिन्न स्तर के पद तथा उनके वेतनमानों के मानकीकरण किये जाने हेतु वृहद परीक्षण की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में **इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल (आई0एन0सी0) द्वारा निर्धारित मानकों के साथ ही** विभिन्न नर्सिंग कालेजो में निर्धारित ढॉचें का अवलोकन किया जाना अपेक्षित होगा। नर्सिंग स्कूल/कालेजों में टीचिंग फैक्लटी के विभिन्न स्तर के पदों पर वेतनमान निर्धारित करते समय मेडिकल एवं डेन्टल में डिग्री कोर्सेज के प्रशिक्षण का स्तर नर्सिंग कोंसेज के प्रशिक्षण के स्तर होने के दृष्टिगत यह संज्ञान में लिया जाना होगा कि नर्सिंग फैक्लटी के वेतनमान मेडिकल एवं डेन्टल में डिग्री कोर्सेज के प्रशिक्षण के शिक्षकों/फैक्लटी से आकर्षक न हों।

(11) उक्त स्थिति में इण्डियन नर्सिग काउन्सिल के मानकों के क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों में बी0एस0सी0 (नर्सिग)/एम0एस0सी0 (नर्सिग) के प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षणिक संवर्ग के ढॉचें (पदनाम, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, अर्हता/अनुभव तथा भर्ती की प्रकिया) के निर्धारण के सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोण से परीक्षणोंपरान्त संस्तुति दिये जाने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया जाना उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 को सदस्य के रूप में नामित करते हुए विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा सकता है। उक्त समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों को मुख्य सचिव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

<u>समिति द्वारा की गयी संवीक्षा</u>

4— उपर्युक्त के आलोक में विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा की गयी

संवीक्षा निम्नवत् है :—

(i) इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल द्वारा निर्धारित मानकों में नर्सिंग स्कूल/कालेज के नर्सिंग प्रशिक्षण से सम्बन्धित कोर्स यथा जनरल नर्सिंग, बी0एस0सी0(नर्सिंग), एम0एस0सी(नर्सिंग) कोर्सेज एवं स्टूडेन्ट की संख्या के आधार पर टीचिंग फैकल्टी के विभिन्न स्तर के पद एवं उनकी संख्या का मानक उपलब्ध है। साथ ही सम्बन्धित शैक्षिक पदों की अर्हता की व्यवस्था भी उपलब्ध है। परन्तु उक्त पदों के वेतनमान के सम्बन्ध में निर्देशित नहीं किया गया है। उक्त स्थिति में वेतनमान के निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अभिमत स्थिर किया जाना है।.

(ii) प्रदेश में नर्सिंग स्कूल/ कालेजों में बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अथवा एम0एस0सी0 (नर्सिंग) के कोर्सेस के प्रशिक्षण के आधार पर टीचिंग फैक्लटी के विभिन्न स्तर के पद तथा उनके वेतनमानों के मानकीकरण किये जाने हेतु इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नर्सिंग कालेजों में नर्सिंग फैक्लटी के लिये निर्धारित ढॉचें (पदनाम, वेतनमान, अर्हता/अनुभव) का तुलनात्मक परीक्षण किया जाना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में रखा जाना होगा कि नर्सिंग कॉसेज के प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षिक पदों का ढॉचा तथा वेतनमान आदि मेडिकल एवं डेन्टल के डिग्री कॉसेज के प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षिक पदों से आकर्षक न हो । उक्त स्थिति में प्रकरण में वृहद परीक्षण निहित है।

(iii) पूर्व उप प्रस्तरों में इंगित स्थिति को देखते हुए इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकों के क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों में बी0एस0सी0 (नर्सिंग)/एम0एस0सी0 (नर्सिंग) कोर्स के प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षणिक संवर्ग के ढॉचें (पदनाम, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, अर्हता/अनुभव तथा भर्ती की प्रक्रिया) के निर्धारण के सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोण से परीक्षणोंपरान्त संस्तुति दिये जाने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया जाना उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा निदेशक, एस0जी0पी0 जी0आई0 को सदस्य के रूप में नामित करते हुए विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाना

उपयुक्त होगा। उक्त समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों को मुख्य सचिव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

<u>समिति की संस्तुतियॉ</u>

5— उक्त के परिदृश्य में सम्यक् विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियॉ निम्नवत् है :—

(i) इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल द्वारा निर्धारित मानकों में नर्सिंग स्कूल/कालेज के नर्सिंग प्रशिक्षण से सम्बन्धित कोर्स यथा जनरल नर्सिंग,बी0एस0सी0(नर्सिंग),एम0एस0सी(नर्सिंग) कोर्सेज एवं स्टूडेन्ट की संख्या के आधार पर टीचिंग फैकल्टी के विभिन्न स्तर के पद एवं उनकी संख्या का मानक उपलब्ध है। साथ ही सम्बन्धित शैक्षिक पदों की अर्हता की व्यवस्था भी उपलब्ध है। परन्तु उक्त पदों के वेतनमान के सम्बन्ध में निर्देशित नहीं किया गया है। उक्त स्थिति में वेतनमान के निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अभिमत स्थिर किया जाना है।

(ii) प्रदेश में नर्सिंग स्कूल/ कालेजों में बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अथवा एम0एस0सी0 (नर्सिंग) के कोर्सेस के प्रशिक्षण के लिये टीचिंग फैक्लटी के विभिन्न स्तर के पद तथा उनके वेतनमानों के मानकीकरण किये जाने हेतु इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नर्सिंग कालेजों में नर्सिंग फैक्लटी के लिये निर्धारित ढॉचें (पदनाम, वेतनमान, अर्हता/अनुभव) का तुलनात्मक परीक्षण किया जाना है। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में रखा जाना होगा कि नर्सिंग कोंसेज के प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षिक पदों का ढॉचा तथा वेतनमान आदि मेडिकल एवं डेन्टल के डिग्री कोंसेज के प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षिक पदों से आकर्षक न हो। उक्त स्थिति में प्रकरण में वृहद परीक्षण निहित है।

(iii) पूर्व उप प्रस्तरों में इंगित स्थिति को देखते हुए प्रदेश में नर्सिंग स्कूल/कालेजों में बी0एस0सी0(नर्सिंग)/एम0एस0सी0 (नर्सिंग) कोर्स के प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षणिक संवर्ग के पदों के ढॉचें (पदनाम, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, अर्हता/अनुभव तथा भर्ती की प्रकिया) के निर्धारण के सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोण से परीक्षणोंपरान्त संस्तुति दिये जाने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग

के अन्तर्गत विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये। उक्त समिति में महानिदेशक,चिकित्सा शिक्षा तथा निदेशक, एस0जी0पी0जी0 आई0 को सदस्य के रूप में नामित किया जाये।

उक्तानुसार गठित किये जाने वाली समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों को मुख्य सचिव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

(राहुल भटनागर)
सदस्य।

(किशन सिंह अटोरिया)
सदस्य।

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
सदस्य।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य–सचिव।

(आलोक रंजन)
अध्यक्ष।

दिनांकः 29 मार्च, 2016 ।